संख्या-330/2016/4101जेएल/22-3-16-800(74)/2012

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर, 2016***

विषय- केन्द्रीय कारागार, आगरा के बंदी सुखदेव सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह, निवासी-ग्राम-भगवानपुर(शाहीपुर) खादर, थाना-किठौर, जनपद-मेरठ को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा के बंदी सुखदेव सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह, निवासी-ग्राम-भगवानपुर(शाहीपुर) खादर, थाना-किठौर, जनपद-मेरठ को शासनादेश संख्या-91/2016/247जेएल/22-3-16-800(74)/2012, दिनांक 10-03-2016 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-330/2016/4101जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा। (फैक्स नं0-0562-1603093)
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in